HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 12602/2025

Balveer @ Bihari @ Bavandar S/o Bhanwar Singh, Aged About 21 Years, R/o Village Theda, Chitar, Tehsil Raipur, District Beawar (Raj.) (At Presently Confined in District Jail Beawar).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vaishnav Saurabh Dharampal, Adv. with Mr. Anirudh Tyagi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP with Mr. Gaurav Gupta, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**09/04/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**09/04/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**13/04/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना ब्यावर शहर, जिला ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–315/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 364, 323, 114, 201 व 120बी भा.दं.सं. में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किया गया है।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम नही है, प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त पर केवल मात्र मृतक देवी सिंह का अपहरण करने का आरोप है, जो कि प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट नही हुआ है, प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर षड्यंत्र कर मृतक देवी सिंह की हत्या करने का आरोप है, जबकि प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नही आयी है, जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर सिंह ने मृतक देवी सिंह की हत्या कारित की हो। एकलपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 6907/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 द्वारा सह–अभियुक्त रज्जाक काठात उर्फ रीजवान उर्फ पोला, एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14508/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 द्वारा सह–अभियुक्त हमीद उर्फ कालू, एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4263/2025 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 द्वारा सह–अभियुक्त सुमेर सिंह उर्फ समीर, एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3417/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 द्वारा सह–अभियुक्त रामा उर्फ रामसिंह तथा एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15992/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 द्वारा सह–अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला के जमानत प्रार्थना पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उक्त सह–अभियुक्तगण के समान है। प्रकरण में कुल 32 साक्षीगण हैं, जिनमें से पी.डब्ल्यू.–1 कान सिंह, पी.डब्ल्यू.–2 जोधा सिंह, पी.डब्ल्यू.–3 मजीद काठात, पी.डब्ल्यू.–4 मोहन, पी.डब्ल्यू.–5 हरि व पी.डब्ल्यू.–6 किशोर सिंह रावत अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा वह गवाह जिसने अभियुक्तगण व मृतक को अंतिम बार देखा, वह साक्षी पी.डब्ल्यू.–7 महेन्द्र सिंह भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हो चुका है। अभी कई साक्षीगण के

बयान लेखबद्ध होने शेष हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि पत्रावली में जो तथ्य आये हैं, उन संपूर्ण तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध कारित करने में संलिप्तता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। प्रकरण के अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है कि सह–अभियुक्त फिरोज एक अन्य व्यक्ति के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से आकर देवी सिंह के पास उतरता है और स्कॉर्पियो गाड़ी सह–अभियुक्त फिरोज चला रहा था, वह मृतक देवी सिंह को जबरन पकड़कर स्कॉर्पियो में डालकर 5.45 पी.एम. पर मील रोड़ होते हुए नाहर खेड़ा चितार की तरफ ले जाता है। देवी सिंह का अपहरण करने पर गाड़ी रूकवाने की कोशिश में देवी सिंह सह–अभियुक्त रज्जाक के गले में फंदा लगाता है, जिससे नाराज होकर षड्यंत्र रचकर मृतक देवी सिंह की हत्या कारित की गयी। अनुसंधान में यह तथ्य भी आया है कि दिनांक 08.06.2024 को मृतक देवी सिंह का सह–अभियुक्तगण फिरोज व रज्जाक ने जबरन अपहरण कर उसे नाहर खेड़ा चिताड़ सहअभियुक्तगण रज्जाक और रामसिंह के मकान के बाहर बनी दुकानों में से एक दुकान में बंधक बनाकर रखा, दिनांक 10.06.2024 को करीब 8 से 9 ए.एम. के बीच में प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ अपहरण के दौरान मृतक देवी सिंह द्वारा अपहरण से छूटने के लिए सह–अभियुक्त रज्जाक के गले में फंदा डालने की घटना का बदला लेने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर रबड़ से निर्मित काले रंग के पट्टे से देवी सिंह के शरीर पर जगह–जगह मारपीट की तथा मृतक देवी सिंह के

मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर सिंह व सह–अभियुक्त सुमेर ने मृतक देवी सिंह को मोटरसाइकिल पर अपने बीच में बैठाया तथा सह–अभियुक्त सुमेर ने मृतक देवी सिंह के पैरों को अपने पैरों से उपर रोककर बाकी शरीर प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर सिंह की पीठ पर लादकर मृतक को कुंए पर लेकर आ गये। प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाईकिल और रबड़ का पट्टा जिससे मृतक देवी सिंह की हत्या कारित की गयी, बरामद हुए हैं। यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 15.07.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किया था कि घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका और सत्यता के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा फर्द जब्ती से संबंधित साक्षीगण व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य के पश्चात ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अनुसंधान अधिकारी व फर्द जब्ती से संबंधित साक्षीगण अभी तक परीक्षित नहीं हुए हैं। पी.डब्ल्यू.–7 महेन्द्र के पक्षद्रोही घोषित होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया हो। इन समस्त तथ्यों व अपराध की गंभीरता को समकक्ष पीठ ने अन्य सह–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान करते समय विचार में नहीं लिया है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त का मामला समान रूप से अवस्थित अन्य अभियुक्त के समान होने के आधार पर जमानत लिये जाने के योग्य है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में देवी सिंह की मृत्यु कारित हुई है, सह–अभियुक्त फिरोज द्वारा मृतक देवी सिंह को स्कॉर्पियो में डालकर उसका जबरन अपहरण किये जाने के तथ्य सामने आये हैं, उस स्कॉर्पियो को सह–अभियुक्त फिरोज चला रहा था। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक देवी सिंह से बदला लेने की योजना बनायी। अनुसंधान में यह तथ्य भी सामने आया है कि जब सह–अभियुक्त फिरोज ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर देवी सिंह को स्कॉर्पियो में जबरन ले जाकर अपहरण किया, तो स्कॉर्पियो रूकवाने के लिए देवी सिंह ने सह–अभियुक्त रज्जाक के गले में अपने पास रखी साफी से फंदा बनाकर डाला, इस बात से नाराज होकर प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर देवी सिंह से बदला लेने के लिए योजना बनायी और इस योजना के अनुसार वे मृतक देवी सिंह को मोटरसाईकिल पर बिठाकर जंगल के कच्चे रास्ते में ले गये और वहां प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर रबड़ निर्मित काले रंग के पट्टे से देवी सिंह के शरीर पर विभिन्न भागों पर मारपीट की और प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने देवी सिंह के मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर उसे मोटरसाईकिल पर अपने व सह–अभियुक्त सुमेर के बीच में बिठाकर जंगल में छोड़ दिया। प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर की अन्य सह–अभियुक्तगण से घटना की दिनांक को मोबाईल पर वार्तालाप हुई, इस संबंध में मोबाईल की सी.डी.आर. पत्रावली में है। सह–अभियुक्त फिरोज ने सह–अभियुक्त रज्जाक उर्फ रिजवान से मृतक देवी सिंह के अपहरण के दौरान बातचीत की व उनकी लोकेशन का तथ्य भी अनुसंधान में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर ने मृतक देवी सिंह के साथ ठोस रबड़ निर्मित पट्टे से मारपीट की, उक्त ठोस रबड़ निर्मित पट्टा प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर से बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर जिस मोटरसाईकिल से देवी सिंह को मरणासन्न अवस्था में लेकर

गया, वह मोटसाईकिल भी प्रार्थी/अभियुक्त बलवीर से बरामद हुई है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से जब्ती हुई है, सह–अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना व अभियुक्त की फर्द जब्ती, प्रार्थी/अभियुक्त की घटनास्थल पर लोकेशन, सह–अभियुक्त से बातचीत व विश्लेषण पत्रावली पर प्रस्तुत हुए हैं।

इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की मृतक देवी सिंह का अपहरण करने व उसकी मृत्यु कारित करने की योजना बनाने तथा मृत्यु कारित करने में सक्रिय भूमिका रही है। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी और फर्द जब्ती से संबंधित साक्षीगण व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। परीक्षित साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने मात्र से इस स्तर पर यह नही कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित ही नही किया हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय Tarun Kumar v. Enforcement Directorate, (2024) 13 SCC 788 के पैरा संख्या 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> *"17. The submission of the learned counsel Mr Luthra to grant bail to the appellant on the ground that the other co-accused who were similarly situated as the appellant, have been granted bail, also cannot be accepted. It may be noted that parity is not the law. While applying the principle of parity, the court is required to focus upon the role attached to the accused whose application is under consideration....."*

इसी प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चय Chander Alias Chandra vs State Of U.P.; 1998 Cri LJ 2374 में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> *"21. Our answers to the questions referred are as follows:*

1. If the order granting bail to an accused is not supported by reasons, the same cannot form the basis for granting bail to a co-accused on the ground of parity.

2. A judge is not bound to grant bail to an accused on the ground of parity even where the order granting bail to an identically placed co-accused contains reasons, if the same has been passed in flagrant violation of well settled principle and ignores to take into consideration the relevant factors essential for granting bail...."

माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार सह–अभियुक्त की जमानत स्वीकार होने मात्र से प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नही हो जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बलवीर उर्फ बिहारी उर्फ बवण्डर पुत्र भंवर सिंह** द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /Res.